

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर

पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर- 302 005
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: mc.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- खअ/जय/निविदा-4/2024/

दिनांक :-

नीलामी सूचना प्रकाशन 04/2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर जिले के विभिन्न राजस्व ग्रामों के खातेदारी/सरकारी खसरों में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान एमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 के तहत जब्तशुदा खनिज चेजा पत्थर/क्वार्टज/बजरी जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरें सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। जिनका विवरण निम्न तालिका व विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 1000/- रु का डी.डी./बैंकर्स चैक "खनि अभियन्ता जयपुर" (MINING ENGINEER JAIPUR) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 27 फरवरी 2024 (दोपहर 3.00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं।

नीलामी हेतु खनिज चेजा पत्थर/क्वार्टज/बजरी समूहों का संक्षिप्त विवरण-

क्रम सं.	तहसील, राजस्व ग्राम एवं खसरा नंबर जहां खनिज पडा हुआ है	खनिज का नाम	खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/ अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रु.)
1	बस्सी, घाटा खसरा संख्या 216	चेजा पत्थर	1410	12408	620400
2	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 110/1	चेजा पत्थर	1293	11378	568920
3	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 119	चेजा पत्थर	6643.43	58462	2923109
4	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 3	चेजा पत्थर	4787.1	42126	2106324
5	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 116,120 व 39	चेजा पत्थर	7800	68640	3432000
6	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 103	चेजा पत्थर	960	8448	422400
7	बस्सी, दयारामपुरा खसरा संख्या 10	क्वार्टज	500	13500	675000
8	फागी, पुलिस थाना फागी	बजरी	1200	10800	540000
9	माधोराजपुरा, पुलिस थाना रेनवाल मांझी (दिनांक 26.01.2024 को डबला रोड पर पड़े स्टॉक जब्तकर थाने पर डलवाई गई मात्रा)	बजरी	80	720	36000

नौ समूहों (खातेदारी/सरकारी खसरे/पुलिस थाना/चौकी क्षेत्रों) में पडी जब्तशुदा चेजा पत्थर/क्वार्टज/बजरी की प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग बोली दरें सीलबंद लिफाफे में दिनांक 27 फरवरी 2024 (सायंकाल 5.00 बजे) तक प्राप्त की जायेगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेंटी द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2024 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेगे। नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

UBN No. - MIN 23246LOB 00034

RajKaj Ref
5538815

Signature valid

Digitally signed by Shri. Krishan Sharma
Designation : Mining Engineer
Date: 2024.02.06 17:38:18 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर- 302 005
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: mc.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- खअ/जय/निविदा-4/2024/

दिनांक :-

नीलामी हेतु उपलब्ध खनिजों का विवरण

जयपुर जिले के विभिन्न राजस्व ग्रामों में खातेदारी/सरकारी भूमि एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज भूमियों में अवैध खनन/निर्गमन चेंकिंग के दौरान जव्त शुदा खनिजों की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे दिनांक 27 फरवरी 2024 (सायंकाल 5.00 बजे) तक कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर, पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम जयपुर के कमरा नं. 504 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबंद लिफाफेकमेटी द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2024 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित नीलामीदाताओं के समक्ष कमरा नंबर 504 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	तहसील, राजस्व ग्राम एवं खसरा नंबर जंहा खनिज पडा हुआ है	खनिज का नाम	खनिज की अनुमानित मात्रा(टनों मे)	बयाना/अमानत राशि(रु.)	न्यूनतम बोली राशि (रु.)
1	बस्ती, घाटा खसरा संख्या 216	चेजा पत्थर	1410	12408	620400
2	बस्ती, दयारामपुरा खसरा संख्या 110/1	चेजा पत्थर	1293	11378	568920
3	बस्ती, दयारामपुरा खसरा संख्या 119	चेजा पत्थर	6643.43	58462	2923109
4	बस्ती, दयारामपुरा खसरा संख्या 3	चेजा पत्थर	4787.1	42126	2106324
5	बस्ती, दयारामपुरा खसरा संख्या 116,120 व 39	चेजा पत्थर	7800	68640	3432000
6	बस्ती, दयारामपुरा खसरा संख्या 103	चेजा पत्थर	960	8448	422400
7	बस्ती, दयारामपुरा खसरा संख्या 10	क्वार्टज	500	13500	675000
8	फागी, पुलिस थाना फागी	बजरी	1200	10800	540000
9	माधोराजपुरा, पुलिस थाना रेनवाल मांझी(दिनांक 26.01.2024 को डाबला रोड पर पडे स्टॉक जव्तकर थाने पर डलवाई गई मात्रा)	बजरी	80	720	36000

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेगी :-

- निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से राजस्व ग्राम का नाम व खसरा संख्या/थाना/चौकी क्षेत्र का नाम एवं खनिज का नाम लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएँ कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर खनिज भवन, पंचम तल के कमरा नं. 504 पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 27 फरवरी 2024 (सायंकाल 5.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
- प्रत्येक स्टॉक के लिये अलग-अलग निविदा अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी (प्रत्येक के लिये एक)। निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता, जयपुर के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग-अलग लिफाफे में खनिज पडा है, लिये निविदा प्रस्तुत करता है तो बयाना/अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग-अलग ही संलग्न करेगा।

Signature valid
Digitally signed by Shri Krishan Sharma
Designation : Mining Engineer
Date: 2024.02.06 17:38:18 IST
Reason: Approved

3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशको या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा खनिजों की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित मौके पर की जा सकती है।
5. जब्तशुदा खनिज जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कमेटी हॉल पंचम तल पर खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को सम्पूर्ण राशि जमा कराने का पत्र दिया जावेगा। पत्र प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा कराने पर खनिज उठाने की अनुमति जारी की जावेगी इस तिथि के खनिज बजरी के अतिरिक्त अन्य खनिजों के लिये 10 दिवस में समस्त खनिज का उठाव करना होगा तथा खनिज बजरी के परिवहन हेतु अवधि 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस ही रहेगी अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये खनिज पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिजों के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशको की सूची इत्यादि की प्रति स्वःहस्ताक्षरित साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/Tax आदि नियमानुसार अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर इस पर निर्णय करने का सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय खनि अभियन्ता जयपुर द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
14. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व इनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा।
15. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलामी की गई खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनो की फोटो एवं कम्प्यूटीकृत/अधिकृत तुला यंत्र के वजन की पर्ची कार्यालय में प्रस्तुत करेगे।
16. शेष सभी शर्तें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।

(श्रीकृष्ण शर्मा)

खनि अभियन्ता जयपुर

दिनांक :

Signature valid

Digitally signed by Shri Krishan
Sharma
Designation : Mining Engineer
Date: 2024.02.06 17:38:18 IST
Reason: Approved

क्रमांक:- खअ/जय/नीलामी-4/2024/

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 2. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। 5538815



3. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. जिला कलक्टर जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर।
7. थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता, बस्सी, फागी, रेनवाल।
8. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

खनिअभियन्ता, जयपुर।

Signature valid

RajKaj Ref
5538815

Digitally signed by Shri Krishan
Sharma
Designation : Mining Engineer
Date: 2024.02.06 17:38:18 IST
Reason: Approved

